

RR No. 3183

23913

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक : 18 SEP 2013

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-


क. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1	96/07	श्री दीपचन्द सैनी नर्स ग्रेड-प्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/118, गांधीनगर (4/138, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.8.2024
2	104/07	श्री हनुमान सिंह जाट सांख्यिकी निरीक्षक निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर	4/20, गांधीनगर	31.7.2029
3	46/09	श्री अजय सिंह वाहन चालक एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	4-सी-1, बहुमंजिला गांधीनगर	30.9.2032
4	91/10	श्री मनोज कुमार सिंघल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संसदीय सचिव (कें) शासन सचिवालय, जयपुर	4/37, गांधीनगर	31.7.2034
5	8/10	श्री प्रहलाद सिंह रीडर राज्य परिवहन अपील न्यायाधीकरण जयपुर	4/42, गांधीनगर (4/28, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	30.9.2020
6	56/10	श्री रामफूल मीणा सहायक रेडियोग्राफर राजकीय चिकित्सालय, शासन सचिवालय, जयपुर	4/40 गांधीनगर	31.8.2034
7	57/10	श्री मुकेश कुमार वैरवा वरिष्ठ लिपिक राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	4/51 गांधीनगर	31.3.2036
8	117/10	श्री लोकेश जैन वरिष्ठ लिपिक कार्यालय प्रेस सलाहकार मुख्यमंत्री, जयपुर	4/64 गांधीनगर	30.11.2028
9	58/10	श्रीमती सुशीला चौधरी नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/94, गांधीनगर	31.10.2043
10	59/10	श्री रामकिशन जटिया कनिष्ठ लिपिक एडीजे फास्ट ट्रैक-4, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	4/100 गांधीनगर	31.10.2025
11	61/10	श्री अनिल भारद्वाज कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अति. महानिदेशक, पुलिस, ए. टी.एस. एवं एसओजी, जयपुर	4/105 गांधीनगर	30.9.2031
12	139/10	श्री अभिषेक कौशिक वरिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/115 गांधीनगर	31.12.2034
13	62/10	श्री जितेन्द्र कुमार मीणा नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/129 गांधीनगर	31.3.2043
14	63/10	श्री जुगल किशोर जोशी टैलीप्रिंटर ऑपरेटर राजस्थान विधानसभा, जयपुर	4/140 गांधीनगर	31.5.2025
15	64/10	श्री पुष्करराज नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/66, गांधीनगर	31.1.2041
16	146/10	श्री बुद्धिप्रकाश व्यास वरिष्ठ लिपिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/177, गांधीनगर (पुराना नंबर एफ-990)	31.3.2029

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसार प्रसारित होने के आदेश रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उक्त क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
10. श्री अजय सिंह, वाहन चालक, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर के वेतन से कौमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 150/- (अधरे एक सौ पचास रुपये मात्र) काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।


नोट इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.6.2013 को श्री विजय सिंह, वरिष्ठ लिपिक, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय को उनकी परियता संख्या 125/2010 के आधार पर आवंटित राजकीय आवास संख्या 4/20, गौधीनगर का आवंटन निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मुन्नालाल शर्मा) 18/9/13
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आधश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. शासन जप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर।
8. सचिव, राज्य परिष्कहन अपील न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सहायक सचिव, राज्य निर्माण आयोग, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर नगर, जयपुर।
12. अति. महानिदेशक, कार्यालय अति. महानिदेशक (पुलिस), एटीएस एवं एस.ओ.जी., जयपुर।
13. उपा सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी/करोपाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. कार्याधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रबंध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, पोलना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग के वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
17. अधिशासी अभियन्ता, साठनिर्माण/जन सेवा अगि वि०/जयपुर वि० वि०निगम लि०, गौधीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
19. सम्बन्धित कर्मचारीगण। सम्बन्धित कर्मचारियों में क्रम संख्या 1 एवं 5 पर दर्ज कर्मचारियों को भेज कर लेख है कि नवीन परिष्कृत आवासों का कब्जा लेकन पूर्व में आवंटित आवासों को रिक्त करें।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवे।
21. रक्षित पत्रवाली।


(मुन्नालाल शर्मा) 18/9/13
सहायक शासन सचिव